

29.6.18

पणवली शाळा कॅम्प कोर्ट गुहावाडी (वन) में फेब्रुवारी
उत्सुत उदारण दिनेका 24.2.16 को उत्सुत किया
गया था। लेकिन शाळा तक सुनावेका की लाफिम नहीं
करवाई गई है। जिसके साबित है कि प्रकरण में
T / -की कोई आवश्यकता प्रतिक नहीं है-होती है।
आवेका सापके उदारण के प्रति गंभीर नहीं है। आवेका
का प्र-पत्र अस्वास्थ्य विषयवाला था इसी वजह पर
स्वास्थि किया गया है। पणवली कॅम्प ल शुभकर डेकर
का-कर के काम हो लया नारिवेला रूपतर से

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (विजय)